(15)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला

Rs.30/-

रीवा म0प्र0

R5183-II/16

1- परमसुख पटेल उम्र 68 साल तनय श्री जग्यभान पटेल

2- रामसुन्दर पटेल उम्र 65 साल तनय श्री जग्यभान पटेल

3- मोतीलाल पटेल उम्र 51 साल तनय श्री जग्यभान पटेल

~~4- ....~~

सभी निवासी ग्राम बदवार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

.... आवेदक गण

श्री .... द्वारा आज दिनांक 13-4-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1- सुनील कुमार मिश्रा तनय श्री मथुरा प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम बदवार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

2- म0प्र0 शासन ... अनावेदक गण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी, तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमाक 24अ12/15-16 आदेश दिनाक 28.3.16 बावत पुष्टिकरण सीमांकन भूमि नम्बर 4390 रक्वा 0.08 हे0 स्थित ग्राम बदवार ज.नं. 416 पटवारी हल्का बदवार सर्किल दुआरी तहसील गुढ़ जिलारीवा म0प्र0

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5183–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्यामराज सिंह उपस्थित होकर यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल दुआरी तहसील गुढ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 24/अ–12/2015–16 में आदेश दिनांक 28.3.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी तहसील गुढ जिला रीवा द्वारा सीमांकन पुष्टिकरण आदेश में प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन एवं फील्ड बुकको स्वीकार किया गया है विधि एवं नियामों के विपरीत होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपन `तर्क में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा कानूनी बिन्दुओं पर विल्कुल विचार नहीं किया गया है। आपत्तिकर्ता का पुस्तैनी रहायसी मकान व निस्तार भूमि नम्बर 4387 रकवा 0.069 है0 भूमि नम्बर 4388 रकवा 0.040 है0 पर इससे आपत्तिकर्ता आवेदक सरहददी कास्तकार एवं सीमांकन प्रकरण में हितधारी व्यक्ति हैं किन्तु राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत	

करने व कथित सीमांकन की सूचना नहीं दिया यदि सूचना पत्र में आवेदक क्रमांक 3 के हस्ताक्षर बने है वह भी फर्जी है इससे सीमांकन कार्यवाही विधि एवं नियामें के विपरीत होने से निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आदेश पत्रिका दिनांक 28.3.16 से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय जो सूचना पत्र जारी किया गया था उसमें सभी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर है लेकिन सीमांकन के पश्चात आपत्ति प्रस्तुत की जो राजस्व निरीक्षक द्वारा निराधार होने के कारण निरस्त कर दी थी और आदेश पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि आपत्तिकर्ता को कोई आपत्ति है तो अलग से अपना सीमांकन की कार्यवाही करवा सकते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक चाहते तो वह अलग से अपना आवेदन देकर अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। अतः राजस्व निरीक्षक सर्किल दुआरी तहसील गुढ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 24 / अ—12 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 28.3.16 स्थिर रखा जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे।

(एस0 एस0 अली)

सदस्य